फर्द आहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

दावा मुकेश बनाम रामस्वरूप

संख्या : 31/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.08.25	पत्रावली प्रस्तुत। वा.क्र. उप./ प्रतिवादी को अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 01.09.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
1.9.2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.क्र. उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 15/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
15.9.2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.क्र. उप.। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 39/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –30.05.2024

1. मुकेश कुमार पुत्र कजोड
2. बिमला देवी कजोड़ की पुत्री
3. मीरा देवी पुत्री कजोड
4. रामनारायण पुत्र कजोड कजोड
5. सांवरमल पुत्र कजोड

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बींजाराम
2. सीताराम पुत्र बींजाराम
3. कैलाश पुत्र रामेश्वर
4. मालीराम पुत्र रामेश्वर
5. रमेश पुत्र रामेश्वर
6. रामनिवास पुत्र बींजा

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री विजय कुमार शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री प्रभु सिंह राजावत – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 15.09.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 183 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी मिसल बन्दोबस्त संवत 2010 से 2023 में ठाकर गणपत सिंह पुत्र देवी सिंह कौम राजपूत के नाम अन्य खसरा नम्बरान् के साथ खुद काश्त दर्ज थी। उक्त भूमि में से वादीगण के पिता कजोडमल पुत्र बाबाराम जाति बागडा ब्राह्मण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3/7/1968 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा में से 10 बीघा 16 बिस्वा

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में से 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि यानि कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय की गई जो राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 3/6/1973 को दर्ज व अंकित की जाकर वादीगण पिता द्वारा क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 183/1 व 184/1 दर्ज व अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई। पूर्व खातेदार गणपत सिंह द्वारा अपनी भूमि भिन्न भिन्न विक्रय पत्रों द्वारा विक्रय कर दी जो राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में खसरा नम्बर 183 के नये नम्बर 183/1 से 183/3 व 184 के नये नम्बर 184/1 से 184/2 दर्ज व अंकित किये गये परन्तु राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नम्बर 183, 184 के राजस्व जमाबन्दी अनुसार तरमीम नही की गई। यानि खसरा नम्बर 183, 184 का नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विभक्त किये जाने के पश्चात भी राजस्व नक्शे में उक्त भूमि का विभाजन नहीं किया गया। हाल भू–प्रबंध के समय वादीगण के पिता के नाम दर्ज गत खसरा नम्बरान् 183/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 184/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 171 रकबा 0.9500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172/572 रकबा 0.4400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 265/587 रकबा 0. 0600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 266 रकबा 0.5500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 267 रकबा 1.5900 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर जो गत जमाबन्दी अनुसार रकबा सही दर्ज किया गया परन्तु राजस्व नक्शे में जमाबन्दी के मुकाबले गलत तरमीम कर नक्शा छोटा कर दिया, जो राजस्व जमाबन्दी के विपरीत होने के कारण वादीगण को राजस्व नक्शा दुरूस्त करवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। गत खसरा नम्बर 183/3 के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 1.23 हैक्टेयर खसरा नम्बर 170 रकबा 1.30 हैक्टेयर दर्ज व अंकित किये गये जो प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पूर्व हक अधिकारी के नाम दर्ज व अंकित किये गये तथा खसरा नम्बर 183/1, 183/2, 184/2 के हाल खसरा नम्बर 167/505 रकबा 0.4800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 168 रकबा 0. 0200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 169 रकबा 1.3100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 1.2500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.3500 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्व हक अधिकारी के नाम दर्ज किये गये जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार दर्ज व अंकित किये गये, जो गत रकबा के मुकाबले रकबा बढाकर दर्ज किया गया। भू–प्रबंध के कामगारो द्वारा जो [illegible] बनाये गये उनकी तरमीम करते हुये जो नक्शा बनाया गया वह ना तो मौके के अनुसार दर्ज किया गया ना जमाबन्दी के अनुसार दर्ज व अंकित किया गया। हाल [illegible] गत से हाल नक्शा बनाया गया, उसमें बिना किसी न्यायालय व अन्य विधिक विभाग के आदेश के वादीगण की भूमि के हाल नक्शे में खसरा नम्बरान् का नक्शा गत खसरा नम्बरान् के विपरीत कायम किया गया, यानि जो मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी में खसरा नम्बरान् दर्ज किये गये वो हाल भू–प्रबंध के

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

अनुसार दर्ज किये गये परन्तु जो हाल नक्शा [illegible] किया गया जो रकबे अनुसार दर्ज व अंकित नही किये गये, तथा हाल नक्शे में कम भूमि दर्ज की गई। यानिक वादी की खातेदारी में भूमि हाल खसरा नम्बर 171 जमाबन्दी में रकबा 0.95 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकबा 0.7979 हैक्टेयर खसरा नम्बर 72/572 रकबा 0.44 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0.3057 हैक्टेयर खसरा नम्बर 265/587 रकबा 0. 06 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0.0616 हैक्टेयर खसरा नम्बर 266 रकबा 0.55 हैक्टेयर नक्शे में दर्ज रकबा 0.5052 हैक्टेयर खसरा नम्बर 567 रकबा 1.59 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 1.3886 हैक्टेयर कुल रकबा जमाबन्दी 3.59 हैक्टेयर नक्शे अनुसार कुल रकबा 3.0590 हैक्टेयर दर्ज व अंकित किया गया यानि वादीगण के नक्शे में लगभग 0. 54 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की खातेदारी भूमि 167 रकबा 1.2300 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में 1.4475 हैक्टेयर खसरा नम्बर 170 रकबा 1. 30 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में रकबा 1.6178 हैक्टेयर कुल रकबा जमाबन्दी अनुसार 2.53 हैक्टेयर व राजस्व नक्शे अनुसार रकबा 3.0653 हैक्टेयर दर्ज किया गया इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 167/505 रकबा 0.4800 हैक्टेयर राजस्व नक्शे अनुसार 0.4541 हैक्टेयर खसरा नम्बर 168 रकबा 0.02 हैक्टेयर नक्शे अनुसार 0.0127 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3100 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकबा 1. 2954 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 1.25 हैक्टेयर नक्शे अनुसार 1. 3912 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1900 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकबा 0.1900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 हैक्टेयर राजस्व नक्शे अनुसार 0.0928 हैक्टेयर कुल कुल रकबा 3.35 हैक्टेयर नक्शे अनुसार कुल रकबा 3. 4262 हैक्टेयर यानि प्रतिवादीगण के राजस्व नक्शे में जमाबन्दी अनुसार अधिक रकबे पर तरमीम की गई। जिन्हें वादीगण दुरूस्त कराने का अधिकारी है। उपरोक्त वादअधीन भूमि से स्पष्ट है कि भू–प्रबंध के कर्मचारियों द्वारा गत खसरा नम्बर 183, 184 के हाल खसरा नम्बर बनाकर जो तरमीम की गई उसमें प्रतिवादीगण की तरमीम अधिक भूमि में की गई यानि उनका नक्शा बडा कर दिया या वादीगण का नक्शा राजस्व जमाबन्दी के विपरीत छोटा कर दिया। भू–प्रबंध के कर्मचारियों को उक्त कृत्य बिना सक्षम न्यायालय के आदेश एवं पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध दर्ज किया गया है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के वैधानिक अधिकारी हैं। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर अंकित कर दिया। यानि गत के मुकाबले वर्तमान नक्शे में पूर्णतः सीमाएँ विपरीत अंकित की गई। जबकि भू–प्रबंध विभाग को उक्त सीमाओं से छेडछाड करने का कोई [illegible] ऐसे में वादी को अपनी खातेदारी की भूमि की सीमाऐं पूर्व गत नक्शे अनुसार दुरूस्त करा कर [illegible]ाएँ घोषित कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। वाद पत्र के मद नम्बर 7 में अंकित [illegible] को आगे के मदो में वादअधीन भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। वर्तमान में [illegible] नम्बर कायम किये गये उसमें वादीगण के उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि गत के मुकाबले हाल नक्शे में कम कर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नक्शे में दर्ज व अंकित कर दी। यानि जमाबन्दी में दर्ज

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर

रकबे के विपरीत वादीगण का नक्शा छोटा/कम बनाया गया। जबकि प्रतिवादीगण का नक्शा बडा/ ज्यादा अंकित किया गया। जिसे वादीगण को दुरूस्त कराकर अपने नक्शे को पूर्व अनुसार घोषित कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के वादअधीन भूमि का नक्शा तरमीम कर वादीगण की खातेदारी भूमि जो कम है वह पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध की है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार राजस्व नक्शा भी गत जमाबन्दी व हाल रकबे अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक था जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण का नक्शा गत रकबे अनुसार पूर्णतः सही हैं। उसके विपरीत जाकर वादीगण के नक्शे में दर्ज भूमि को कम कर दिया। जबकि उक्त भूमि गत नक्शे व हाल नक्शे का मिलान करने पर स्पष्ट रूप से गत नक्शे अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि में स्थित आती हैं, जो कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तरमीम की गई है। ऐसे में वादीगण को अपने नक्शे की सीमाऐं घोषित कराने व नक्शा दुरूस्त कराने का वैधानिक अधिकार हैं। गत नक्शा व वर्तमान नक्शा को मिलान करने व सुपर इम्पोज करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खसरा नम्बरन् जो नक्शे अनुसार वादीगण के गत नक्शे में इम्पोज किया गया हैं, एवं खसरा नम्बरान् की नाप की जाती है तो वादीगण की भूमि कम आती है एवं प्रतिवादीगण की भूमि अधिक आती हैं। ऐसे में वादीगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अधिक भूमि को नक्शे में डिलिट कराकर अपनी सीमाओं को घोषित कराने एवं नक्शे को दुरूस्त कराने का वादीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। जिसके संबंध में यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल वादीगण व प्रतिवादीगण बनाया गया है, उसमें रकबा पूर्व के अनुसार ही दर्ज किया गया हैं। परन्तु जो गत के मुकाबले हाल नक्शा बनाया गया है उसमें सीमाऐं परिवर्तित कर दी वादीगण की खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण के नक्शे में दर्ज की गई साथ ही वादीगण का नक्शा छोटा कर प्रतिवादीगण का नक्शा बडा कर दिया। ऐसे में वादीगण को विधि के प्रावधानो के अनुसार अपने खातेदारी भूमि की घोषणा कराने एवं हाल नक्शे को गत के अनुसार दुरूस्त कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जिसे दुरूस्त कर वादीगण की सीमाएँ घोषित की जावें। गत भू–प्रबन्ध के समय राजस्व कर्मचारियों ने विधि विरुद्ध प्रतिवादीगण से सांठ गांठ करते हुये वादीगण की भूमि गत खसरा नम्बर के हाल नक्शे में गलत रूप से अपना खसरा नम्बर अंकित कराकर गत के मुकाबले वादीगण का नक्शा कम कर दिया। जबकि भू–प्रबंध को [illegible] की रकबा नक्शा परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। उक्त भूमि [illegible] परिवर्तन कर प्रतिवादीगण के नाम अंकित की गई जो वादीगण के हक व अधिकार के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है जिसे वादीगण को दुरूस्त [illegible] अधिकारों एवं अपनी खातेदारी की सीमाओं की घोषणा कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है। वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार वाद अधीन कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चलें आ रहें है। वादीगण के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surjan Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: Self Attested

अलावा प्रतिवादीगण एंव अन्य किसी का भी विवादित भूमि से कोई संबंध, सरोकार, वास्ता नहीं है और नही प्रतिवादीगण का वाद अधीन कृषि भूमि पर कब्जा है और न ही कभी कब्जा था। वादीगण दुरूस्ती व घोषित किये जाने नक्शे में सीमाएँ का डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि, राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि के नक्शे को जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार वर्तमान नक्शा कायम करावें एवं वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर जिनका वर्णन वाद के मद नम्बर 7 में किया गया है की तरमीम को डिलिट कराकर वादीगण नक्शे की सीमाएँ जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार घोषित कर नक्शे को दुरूस्त किया जावें। तदानुसार प्रतिवादीगण का नक्शा भी गत के अनुसार दर्ज किया जावें। प्रतिवादरीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान कराने पर उक्त तथ्य की जानकारी आयी जिससे ज्ञात हुआ कि सीमाज्ञान के पश्चात वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण ने अपना अधिकार प्रदर्शित किया जिस पर वादीगण द्वारा सीमाज्ञान को रूकवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 48/2023 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 48/2023 बउनवान सांवरमल बनाम रामनिवास व अन्य प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात समस्त राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर हाल नक्शे को ड्राफ्टमैन से कम्प्यूटर से मॉप करने पर ज्ञात हुआ कि भू–प्रबंध के कर्मचारियों द्वारा राजस्व नक्शा बनाते समय जमाबन्दी से विपरीत जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि का नक्शा कायम किया। अब प्रतिवादीगण उक्त गलत नक्शे के आधार पर वादीगण को वादअधीन भूमि की पुरानी सीमाओं को नष्ट कर बेदखल करने पर उतारू हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 8/6/2023 को वादीगण को बेदखल करने की एलानियां धमकी दी तब वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया व अंभी हाल ही में उन्हें पुनः दिनांक 25/3/2024 को पुनः धमकी दी जिस पर समस्त दस्तावेजों के अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्हें जानकारी हुई कि उनका नक्शा राजस्व जमाबन्दी के मुकाबले छोटा कर वादीगण की सीमाओं में जमाबन्दी के मुकाबले भिन्नता उत्पन्न हो गई एवं वादीगण को प्राप्त भूमि का नक्शा छोटा कायम किया गया एवं प्रतिवादीगण का नक्शा बडा कायम किया गया। जिसके आधार पर प्रतिवादीगण वर्तमान नक्शे व राजस्व रिकार्ड के आधार पर माननीय उपखण्ड अधिकारी के सीमाज्ञान व पत्थरगढी के आदेश के आधार पर भूमि से बेदखल कर भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं। जिसके आधार पर ही प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानियां धमकी दी कि आप इस भूमि से अपना कब्जा हटा लेवें अन्यथा बाहुबल के आधार पर बेदखल कर दिया जावेगा। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड एंव भू–प्रबन्ध विभाग से विवादित भूमि की नकलें प्राप्त कर अवलोकन किया तब ही वादीगण को भू–प्रबन्ध विभाग की गैर कानूनी कार्यवाही की जानकारी हुई। इससे पहले विवादित भूमि के गलत इन्द्राज की कोई जानकारी वादीगण को नहीं थी। चूँकि विवादित भूमि की खातेदारी सर्वथा गलत व गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है इसलिये प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

की नियत में खोट आ गई है और वह गलत खातेदारी इन्द्राज के आधार पर वादीगण व औपचारिक प्रतिवादीगण को मौके पर से वाहुवल के आधार पर वेदखल करने, भूमि को गलत नक्शे के आधार पर पत्थरगढी कराकर वादीगण को वेदखल कर भूमि पर कब्जा करने पर तुले हुए है। जवकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। उपरोक्त वर्णित स्थिति एंव परिस्थितियों को मद्धे नजर रखते हुए वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वो वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी गत खसरा नम्वरान् जिनका वर्णन वाद पत्र के मद नम्बर 4 में किया गया है जिसमें गलत रूप से हाल नक्शे में हाल खसरा नम्बर वाद पत्र के मद नम्बर 7 में वर्णित किये गये है, को दर्शाया गया हैं में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से बाधा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहें और अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि को भी निषेद्ध रखें तथा भूमि पर जबरिया पत्थरगढी सीमाओं को चिन्ह भिन्न करने एवं सीमाचिन्ह नष्ट करने की कार्यवाही नही करें एवं मौका की यथास्थिति बनायी रखे। बिनायदावा अन्तिम बार दिनांक 25–03–2024 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर विवादित भूमि की पत्थरगढी के आदेश माननीय उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त करने और वादीगण को बेदखल करने की एलानियां धमकी दी जो निरन्तर जारी हैं। दावा बाबत् घोषणा व घोषित किये जाने नक्शे में सीमाओं व दुरूस्ती नक्शा व स्थाई निषेधाज्ञा का होनें से राज० सरकार जरिये तहसीलदार जालसू (भू–स्वामी) को प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं। चूँकि प्रतिवादीगण वाद अधीन भूमि पर पत्थरगढी करवाकर खुर्द–बुर्द करके वादी को उसके खातेदारी अधिकारों से वैचित करने पर तुले हुए है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या–1, 2, 4 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र की मद संख्या–1 में अंकित कथन रिकार्ड से संबंधित होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या–2 में साबिक खसरा संख्या–183 में से 10 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 184 में से 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि क्रय करने का कथन गलत अंकित किया है, जो कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि, उक्त [illegible] को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1968 को उप–पंजीयक आमेर के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें खसरा संख्या 183 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या–184 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा में से हिस्सा 1/3 (तीसरा) की आराजी को गणपत सिंह पुत्र देवी सिंह द्वारा कजोड़मल पुत्र कानाराम को बेचान किया गया है। जिससे कुल रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा में से 1/3 भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अर्थात् 12 बीघा 09 बिस्वा भूमि क्रय की थी। जिसके स्थान पर वादी द्वारा गलत रूप से 14 बीघा 03 बिस्वा अंकित की गई है। जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित वादी को कोई रकबा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित दिनांक 13.06.1971 को नामान्तरकरण संख्या 48 के द्वारा गलत हिस्सा दर्ज करवा दिया। जिसके बारे में नामान्तरकरण संख्या 48 निर्णय दिनांक 13.06.1971 की पुश्त पर नोट भी अंकित किया गया है कि रजिस्ट्री में खसरा नम्बर 183 का 30 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 184 का 06 बीघा 12 बिस्वा दर्ज किया गया है। किन्तु विक्रेता ने 183 का 20 और 184 का 03 बीघा 05 बिस्वा पहले बेच चुका है। अब ये रजिस्ट्री सन् 1968 की है, अतः क्रेता का नाम इन नम्बरों के शेष रकबे पर भी दर्ज होगा। रजिस्ट्री पुरानी है। जिसका तात्पर्य यह है कि गलत रकबे के आधार पर ही बेचान हुआ तथा नामान्तरकरण भी गलत रूप से दर्ज किया गया। जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित रकबा प्राप्त करने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। ताद पत्र की मद संख्या–3 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादीगण स्वयं साबित करें। राजस्व रिकार्ड में तरमीम सही रूप से की गई है। वाद पत्र की मद संख्या–4 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि वादीगण के नाम जमाबंदी में ज्यादा रकबा अंकित किया गया है। जबकि जमाबंदी में रकबा मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ही दर्ज होना चाहिए था। जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ज्यादा रकबा प्राप्त करने का वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण के राजस्व नक्शे में से कोई रकबा काटकर वादीगण के दर्ज किया गया तो प्रतिवादीगण का रकबा राजस्व नक्शे में कम हो जायेगा। जिससे गणपत सिंह द्वारा खसरा संख्या 183 व 184 के सम्पूर्ण रकबे की रकबा बरारी करवाई जानी न्यायहित में अति आवश्यक है। क्योंकि यदि मिन जवाबदातागण के अलावा अन्य पड़ौसी खातेदार भी अपना रकबा कम होने का कथन कर रहे है। जिससे खसरा संख्या 183 व 184 के वर्तमान सम्पूर्ण खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर सभी का रकबा की रकबा बरारी करवाई जानी न्यायहित में अति आवश्यक है। वाद पत्र की मद संख्या–5 में अंकित राजस्व रिकार्ड की खातेदारी का अंकन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने का कथन स्वीकार है। लेकिन प्रतिवादीगण के नाम रकबा गत रकबे से ज्यादा दर्ज नहीं किया गया है। उक्त तथ्य को वादीगण स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या 6 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादीगण स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या 7 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। विभाग ने साबिक रिकार्ड के अनुसार ही वास्तविक कब्जे काश्त व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी व हाल नक्शा कायम किया है। जो उनका क्षेत्राधिकार में किया गया कार्य है। वादीगण का यह कथन कि वादीगण के नक्शे में लगभग 0.54 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज कर दी गई है, गलत अंकित किया है। सही तथ्य यह है कि वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित जमाबंदी में रकबा दर्ज करवा

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

लिया, जिसकी पूर्ति प्रतिवादीगण के नक्शे में से काटछांट कर नहीं की जा सकती। वाद पत्र की मद संख्या 8 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग ने सही रूप से साविक खसरा संख्या 183 व 184 से बने हाल खसरा नम्बर में साविकानुसार ही रकबा दर्ज किया है। जो सही है। फिर भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत हो रही हो तो साविक खसरा संख्या 183 व 184 के सम्पूर्ण रकबे से बने हाल सम्पूर्ण खसरा नम्बरान् के खातेदारान् को पक्षकार बनाया जाकर सम्पूर्ण खसरों की रकबा बरारी करवाई जाकर आगामी कार्यवाही की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है। वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित इन्द्राज दर्ज करवा लिया, जिसकी पूर्ति इस वाद के द्वारा नहीं हो सकती। वाद पत्र की मद संख्या–9 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या–10 में जिस प्रकार कथन किया गया है, जवाब का मोहताज नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या–11 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रतिवादीगण के नाम साबिक रिकार्ड व हाल जमाबंदी के अनुसार ही तथा वास्तविक कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा कायम किया गया है। जिससे वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित कोई रकबा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण भी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। जो मुताबिक राजस्व सीमाओं के अनुसार ही काबिज है। राजस्व नक्शे में अंकित सीमाओं के विपरित वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या–17 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादीगण कोई नक्शा दुरूस्त करवाने के अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अंकित इन्द्राज सही है। वाद पत्र की मद संख्या–18 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादीगण स्वयं साबित करें। दिनांक 08.06.2023 को काई धमकी नहीं दी गई, क्योंकि, प्रतिवादीगण अपने राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे के मुताबिक ही काबिज है। जिससे वादीगण द्वारा समस्त तथ्य झूठें अंकित किये है। वाद पत्र की मद संख्या–19 स्वीकार नहीं है। वादीगण स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या–20 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। खातेदारी इन्द्राज सही प्रकार से दर्ज किये गये है। वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित कोई रकबा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या–21 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादीगण कोई नक्शा दुरूस्त करवाने के अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अंकित इन्द्राज सही है। वादीगण प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

1. आया वादीगण की खातेदारी भूमि के गत खसरा नम्बर जिनका वर्णन वाद पत्र के मद नम्बर 4 में किया है से बने हाल खसरा नम्बर के हाल नक्शे को जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण का नक्शा छोटा किया जाकर वादीगण के नक्शे की सीमाएं जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावें?

.....वादीगण

2. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के वाद अधीन भूमि का नक्शा तरमीम कर वादीगण की खातेदारी भूमि कम कर दी जो कि विधि विरूद्ध है?

.....वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?

.....वादीगण

4. आया विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1968 को उप–पंजीयक आमेर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया, जिससे विपरीत वादी को ज्यादा रकबा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है?

.....प्रतिवादीगण

5. आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1968 के विपरीत दिनांक 13.06. 1971 को नामान्तरकरण संख्या 48 के द्वारा गलत हिस्सा दर्ज करवाया गया है?

.....प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादीगण के नाम साबिक रिकॉर्ड व हाल जमाबंदी एवं कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा कायम किया गया हैं जिससे वादीगण रकबा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

7. अनुतोष

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

दस्तावेजी साक्ष्य में मिसल हकीयत वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 7 प्रदर्श –1, वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 147 प्रदर्श 2, वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 92 प्रदर्श– 3, नया नक्शा प्रदर्श –4, गत जमाबंदी संवत 2051 प्रदर्श– 5, जमाबंदी संवत 2023 से 2038 प्रदर्श– 6, जमाबंदी संवत 2060 प्रदर्श–7, जमाबंदी सन् 1956–59 प्रदर्श–8, हाल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 9, जमाबंदी संवत 2027 प्रदर्श–10, जमाबंदी खसरा नंबर 183/1, 184/1 प्रदर्श–11, नामान्तकरण संख्या 38 प्रदर्श– 12, गत नक्शा प्रदर्श–13 वादी ने प्रदर्शित करवाया।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर

वादीगण ने मौखिक साक्ष्य निम्न परीक्षित करवाये गये।

1. PW1 श्री सांवरमल पुत्र कजोड जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।
2. PW2 श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं किये अतः दिनांक 26.08.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया वादीगण की खातेदारी भूमि के गत खसरा नम्बर जिनका वर्णन वाद पत्र के मद नम्बर 4 में किया है से बने हाल खसरा नम्बर के हाल नक्शे को जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण का नक्शा छोटा किया जाकर वादीगण के नक्शे की सीमाएं जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावें?

......वादीगण

2. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के वाद अधीन भूमि का नक्शा तरमीम कर वादीगण की खातेदारी भूमि कम कर दी जो कि विधि विरूद्ध है?

.......वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?

.......वादीगण

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 लगायत 3 को एकसाथ निर्णित किया जा रहा है। उक्त तनकीया साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने उक्त तनकीयो के समर्थन में जमाबंदी खाता संख्या 147 प्रदर्श 2, वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 92 प्रदर्श– 3, नया नक्शा प्रदर्श –4, गत जमाबंदी संवत 2031 प्रदर्श– 5, जमाबंदी संवत 2023 से 2038 प्रदर्श– 6, जमाबंदी संवत 20[illegible]–7, जमाबंदी संवत 1956–59 प्रदर्श–8, हाल मिलान क्षेत्रफल [illegible] 2027 प्रदर्श–10, जमाबंदी खसरा नंबर 183/1, 184/1 प्रदर्श–11, नामान्तरण संख्या 38 प्रदर्श– 12, गत नक्शा प्रदर्श–13 पेश किया तथा [illegible] PW1 श्री सांवरमल पुत्र कजोड, PW2 श्री मुकेश कुमार शर्मा परीक्षित करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

विवादित आराजी ग्राम जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 183 रकबा 30 बीघा 16

प्रकरण संख्या – 39/2024
उनवानी – मुकेश कुमार बनाम रामस्वरूप वगै0
निर्णय दिनांक :– 15.09.2025

बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी मिसल बन्दोबस्त बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 संवत 2010 से 2023 में ठाकुर गणपत सिंह वल्द देवी सिंह कौम राजपूत के नाम अन्य खसरा नम्बरान् के साथ खुद काश्त दर्ज व अंकित थी। उक्त भूमि में से वादीगण के पिता कजोडमल पुत्र बाबाराम जाति बागडा ब्राह्मण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3/7/1968 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा में से 10 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में से 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि यानि कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय की गई जो राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 3/6/1973 को दर्ज व अंकित की जाकर वादीगण पिता द्वारा क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 183/1 व 184/1 दर्ज व अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई। पूर्व खातेदार गणपत सिंह द्वारा अपनी भूमि भिन्न भिन्न विक्रय पत्रों द्वारा विक्रय कर दी जो राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में खसरा नम्बर 183 के नये नम्बर 183/1 से 183/3 व 184 के नये नम्बर 184/1 से 184/2 दर्ज व अंकित किये गये परन्तु राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नम्बर 183, 184 के राजस्व जमाबन्दी अनुसार तरमीम नही की गई। जोकि प्रदर्श 9, 10, 11 व 12 से साबित है। यानि खसरा नम्बर 183, 184 का नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विभक्त किये जाने के पश्चात भी राजस्व नक्शे में उक्त भूमि का विभाजन नहीं किया गया। हाल भू–प्रबंध के समय वादीगण के पिता के नाम दर्ज गत खसरा नम्बरान् 183/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 184/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 171 रकबा 0.9500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172/572 रकबा 0.4400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 265/587 रकबा 0. 0600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 266 रकबा 0.5500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 267 रकबा 1.5900 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर जो गत जमाबन्दी अनुसार रकबा सही दर्ज किया गया परन्तु राजस्व नक्शे में जमाबन्दी के मुकाबले गलत तरमीम कर नक्शा छोटा कर दिया, जोकि तहसीलदार जालसू कि रिपोर्ट/जवाब से साबित है। जिसमें स्पष्ट अंकन किया है कि *"..... अनुसार वर्तमान नक्शे में वादीगण का रकबा 0.53 हैक्टेयर कम दर्ज है, प्रतिवादीगण का वर्तमान नक्शे में रकबा 0.10 हैक्टेयर ज्यादा दर्ज है, ... प्रतिवादीगण ... रकबा नक्शे में 0.52 है ज्यादा दर्ज है।"*

सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

गत खसरा नम्बर 183/3 के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 1.23 हैक्टेयर खसरा नम्बर 170 रकबा 1.30 हैक्टेयर दर्ज व अंकित किये गये जो प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पूर्व हक अधिकारी के नाम दर्ज व अंकित किये गये तथा खसरा नम्बर 183/1, 183/2, 184/2 के हाल खसरा नम्बर 167/505 रकबा 0.4800 हैक्टेयर खसरा नम्बर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

168 रकबा 0. 0200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 169 रकबा 1.3100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 1.2500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.3500 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्व हक अधिकारी के नाम दर्ज किये गये जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार दर्ज व अंकित किये गये, जो गत रकबे के मुकाबले रकबा बढाकर दर्ज किया गया किया गया है। भू–प्रबंध के कामगारो द्वारा जो भू–प्रबंध अनुसार हाल नम्बर बनाये गये उनकी तरमीम करते हुयें जो नक्शा बनाया गया वह ना तो मौके के अनुसार दर्ज किया गया ना जमाबन्दी के अनुसार दर्ज व अंकित किया गया। जोकि तहसीलदार जालसू एवं प्रदर्श 3, 4, 5, 6 एवं 7 से साबित है।

भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज में तब्दीली करने का कोई अधिकार नही है जैसा कि आर आर डी 2009–10 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 143 रामरतन बनाम भगवान सहाय व अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि "सेटलमेंट डिपार्टमेंट हैव नो जूरिडिक्शन तो चेंज द ओल्ड एंट्री."। उक्त भू–प्रबंध विभाग द्वारा कियां गया कार्य क्षेत्राधिकार के विपरीत किया गया है हाल भू–प्रबंध द्वारा जो गत से हाल नक्शा बनाया गया, उसमें बिना किसी न्यायालय व अन्य विधिक विभाग के आदेश के वादीगण की भूमि के हाल नक्शे में खसरा नम्बरान् का नक्शा गत खसरा नम्बरान् के विपरीत कायम किया गया, यानि जो मिलान क्षेत्रफ़ल व जमाबन्दी में खसरा नम्बरान् दर्ज किये गये वो हाल भू–प्रबंध के अनुसार दर्ज किये गये परन्तु जो हाल नक्शा कायम किया गया जो रकबे अनुसार दर्ज व अंकित नही किये गये, तथा हाल नक्शे में कम भूमि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त गवाह सांवरमल PW 1 ने यह माना है कि हमारी जमीन सही दर्ज है परन्तु नक्शे में कम है तथा प्रतिवादी की जमाबंदी में सही पर नक्शा बडा है। पहले जैसे कब्जे मे थी आज भी वैसे ही कब्जे में है तथा गवाह मुकेश कुमार शर्मा PW 2 ने अपनी साक्ष्य शहादत में जाहिर किया है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमीन के क्षेत्रफल की लडाई है, मुकेश के पास कम पड रही है मैने जमीन नापी नही है कागज देखे है। प्रस्तुत साक्ष्यो गवाहो के बयानो एवं तहसीलदार जालसू की रिपोर्ट के अनुसार वादी ने उक्त तनकीया बखूबी साबित की है। अतः उक्त तनकीया वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

आया विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1968 को उप–पंजीयक आमेर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया, जिसके विपरीत वादी को ज्यादा रकबा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है?

......प्रतिवादीगण

5. आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1968 के विपरीत दिनांक 13.06.1971 को नामान्तरकरण संख्या 48 के द्वारा गलत हिस्सा दर्ज करवाया गया है?

......प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर

6. आया प्रतिवादीगण के नाम साबिक रिकॉर्ड व हाल जमाबंदी एवं कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा कायम किया गया हैं जिससे वादीगण रकबा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 4 लगायत 6 एकसाथ निर्णित की जा रही है। उक्त तनकीयो को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकीयो को साबित करने के लिए प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1968 को उप–पंजीयक आमेर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया, जिससे विपरीत वादी को ज्यादा रकबा दिया गया जबकि तहसीलदार जालसू की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि ***"वर्तमान जमाबंदी अनुसार वर्तमान नक्शे में वादीगण का रकबा 0.53 हैक्टेयर कम दर्ज है व प्रतिवादीगण का वर्तमान नक्शे में रकबा 0.10 हैक्टेयर ज्यादा दर्ज है एवं प्रतिवादीगण का रकबा नक्शे में 0.52 है ज्यादा दर्ज है।"***

इसके अतिरिक्त मिसल हकीयत वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 7 प्रदर्श –1, वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 147 प्रदर्श 2, वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 92 प्रदर्श– 3, नया नक्शा प्रदर्श –4, गत जमाबंदी संवत 2031 प्रदर्श– 5, जमाबंदी संवत 2023 से 2038 प्रदर्श– 6, जमाबंदी संवत 2060 प्रदर्श–7, जमाबंदी संवत 1956–59 प्रदर्श–8, हाल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 9, जमाबंदी संवत 2027 प्रदर्श–10, जमाबंदी खसरा नंबर 183 / 1, 184 / 1 प्रदर्श–11, नामान्तकरण संख्या 38 प्रदर्श– 12, गत नक्शा प्रदर्श–13 से स्पष्ट साबित है कि वादी को ज्यादा रकबा नही दिया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 48 के द्वारा सही हिस्सा दर्ज किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादीगण ने उक्त तनकीयो को साबित करने में असफल रहे है अतः उक्त तनकीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

निर्णय

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 लगायत 6 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध निर्णित होने से वाद वादीगण इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि हाल भू–प्रबंध द्वारा जो गत से हाल नक्शा बनाया गया, उसमें बिना किसी न्यायालय व अन्य विधिक नियम के आदेश के वादीगण की भूमि के हाल नक्शे में खसरा नम्बरान् का नक्शा गत खसरा नम्बरान् के विपरीत कायम किया गया, यानि जो मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी में खसरा नम्बरान् दर्ज किये गये वो हाल भू–प्रबंध के अनुसार दर्ज किये गये परन्तु जो हाल नक्शा कायम किया गया जो रकबे अनुसार दर्ज व अंकित नही किये गये, तथा हाल नक्शे में कम भूमि दर्ज की गई।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 39/2024
दीवानी – मुकेश कुमार बनाम रामस्वरूप वगै0
निर्णय दिनांक :– 15.09.2025

यानिक वादी की खातेदारी में भूमि हाल खसरा नम्बर 171 जमाबन्दी में रकबा 0.95 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकबा 0.7979 हैक्टेयर खसरा नम्बर 72/572 रकबा 0.44 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0.3057 हैक्टेयर खसरा नम्बर 265/587 रकबा 0. 06 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0.0616 हैक्टेयर खसरा नम्बर 266 रकबा 0.55 हैक्टेयर नक्शे में दर्ज रकवा 0.5052 हैक्टेयर खसरा नम्बर 567 रकबा 1.59 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 1.3886 हैक्टेयर कुल रकबा जमाबन्दी 3.59 हैक्टेयर नक्शे अनुसार कुल रकबा 3.0590 हैक्टेयर दर्ज व अंकित किया गया यानि वादीगण के नक्शे में लगभग 0.54 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की खातेदारी भूमि 167 रकबा 1.2300 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में 1.4475 हैक्टेयर खसरा नम्बर 170 रकबा 1.30 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में रकबा 1.6178 हैक्टेयर कुल रकबा जमाबन्दी अनुसार 2.53 हैक्टेयर व राजस्व नक्शे अनुसार रकबा 3.0653 हैक्टेयर दर्ज किया गया इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 167/505 रकबा 0.4800 हैक्टेयर राजस्व नक्शे अनुसार 0.4541 हैक्टेयर खसरा नम्बर 168 रकबा 0.02 हैक्टेयर नक्शे अनुसार 0.0127 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3100 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकंबा 1.2954 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 1.25 हैक्टेयर नक्शे अनुसार 1.3912 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1900 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकबा 0.1900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 हैक्टेयर राजस्व नक्शे अनुसार 0.0928 हैक्टेयर कुल रकबा 3.35 हैक्टेयर नक्शे अनुसार कुल रकबा 3.4262 हैक्टेयर के हाल नक्शे को जमाबंन्दी में दर्ज रकबे अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण का नक्शा छोटा किया जाकर वादीगण के नक्शे की सीमाऐं जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण, वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा ना ही सीमाचिन्हो को नष्ट करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 39/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक –30.05.2024

1. मुकेश कुमार पुत्र कजोड
2. बिमला देवी कजोड़ की पुत्री
3. मीरा देवी पुत्री कजोड
4. रामनारायण पुत्र कजोड कजोड
5. सांवरमल पुत्र कजोड

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बींजाराम
2. सीताराम पुत्र बींजाराम
3. कैलाश पुत्र रामेश्वर
4. मालीराम पुत्र रामेश्वर
5. रमेश पुत्र रामेश्वर
6. रामनिवास पुत्र बींजा

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

....प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 15.09.2025

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 लगायत 6 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्व निर्णित होने से वाद वादीगण इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि हाल भू–प्रबंध द्वारा जो गत से हाल नक्शा बनाया गया, उसमें बिना किसी न्यायालय व अन्य विधिक विभाग के आदेश के वादीगण की भूमि के हाल नक्शे में खसरा नम्बरान् का नक्शा गत खसरा नम्बरान् के विपरीत कायम किया गया, यानि जो मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी में खसरा नम्बरान् दर्ज किये गये वो हाल भू–प्रबंध के अनुसार दर्ज किये गये परन्तु जो [illegible] गया जो रकबे अनुसार दर्ज व अंकित नही किये गये, तथा हाल नक्शे में क[illegible] दर्ज की गई। यानिक वादी की खातेदारी में भूमि हाल खसरा नम्बर [illegible] 0.95 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकबा 0.7979 हैक्टेयर खसरा नम्बर 72/573 रकबा [illegible] हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0.3057 हैक्टेयर खसरा नम्बर 265/587 [illegible] नक्शे में रकबा 0.0616 हैक्टेयर खसरा नम्बर 266 रकबा 0.55 हैक्टेयर नक्शे में दर्ज रकबा 0.5052 हैक्टेयर खसरा नम्बर 567 रकबा 1.59 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 1.3886 हैक्टेयर कुल रकबा जमाबन्दी 3.59 हैक्टेयर नक्शे अनुसार कुल रकबा 3.0590 हैक्टेयर दर्ज व अंकित किया गया यानि वादीगण के नक्शे में लगभग 0.54 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की खातेदारी भूमि 167 रकबा 1.2300 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

4475 हैक्टेयर खसरा नम्बर 170 रकबा 1.30 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में रकबा 1.6178 हैक्टेयर कुल रकबा जमाबन्दी अनुसार 2.53 हैक्टेयर व राजस्व नक्शे अनुसार रकबा 3.0653 हैक्टेयर दर्ज किया गया इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 167/505 रकबा 0.4800 हैक्टेयर राजस्व नक्शे अनुसार 0.4541 हैक्टेयर खसरा नम्बर 168 रकबा 0.02 हैक्टेयर नक्शे अनुसार 0.0127 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3100 हैक्टेयर नक्शे अनुसांर रकबा 1.2954 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 1.25 हैक्टेयर नक्शे अनुसार 1.3912 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1900 हैक्टेयर नक्शे अनुसार रकबा 0.1900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 हैक्टेयर राजस्व नक्शे अनुसार 0.0928 हैक्टेयर कुल रकबा 3.35 हैक्टेयर नक्शे अनुसार कुल रकबा 3.4262 हैक्टेयर के हाल नक्शे को जमाबंन्दी में दर्ज रकबे अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण का नक्शा छोटा किया जाकर वादीगण के नक्शे की सीमाऐं जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण, वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा ना ही सीमाचिन्हो को नष्ट करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 15.09.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:19 IST
Reason: SelfAttested